।।यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–31.12.19

मि.न.168/2019

सरकार बनाम सुरेन्द्र

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोनेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम गोनेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 176/1842/0.81 है0 किस्म बंजड भूमि मेंसे 0.81 है0पर सुरेन्द्र पुत्र उमादत्त जाति गुर्जर निवासी गोनेडा तहसील कोटपूतली ने फसल सरसों कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल सुरेंन्द्र पुत्र उमादत्त जाति गुर्जर निवासी गोनेडा तहसील कोटपूतली ने वाके ग्राम गोनेडा के खसरा नंबर 1762/1842/0.81 है0किस्म जमीन बंजड भूमि मेंसे 0.81 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल सुरेन्द्र पुत्र उमादत्त जाति गुर्जर निवासी गोनेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम गोनेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1768/1842/0.81 है0 ,किस्म बंजड मे से 0.81है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बोई गई फसल सरसों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान

राशी 1.62रू. का पचास गुणा 81रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 31.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।